संख्या : 1527/1-10-2011-33(114)/2011

प्रेषक,

केoकेo सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी/ललितपुर/जालौन/सोनभद्र/मिर्जापुर/इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : दिनॉक : 16 मई, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु ट्रैक्टर, टैंकर किराया एवं संचालन मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में आपके जनपद में ऐसे स्थानों पर जहाँ पेयजल की समस्या है, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उसकी व्यवस्था करने हेतु ट्रैक्टर, टैंकर किराय एवं संचालन मद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 **55,00,000/-** **(रूपये पचपन लाख मात्र)** निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

कमांक	जनपद	आवंटित धनराशि
1	झांसी	Rs. 10,00,000.00
2	ललितपुर	Rs. 10,00,000.00
3	जालौन	Rs. 10,00,000.00
4	सोनभद्र	Rs. 10,00,000.00
5	मिर्जापुर	Rs. 10,00,000.00
6	इलाहाबाद	Rs. 05,00,000.00
योग		**Rs. 55,00,000.00**

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि केवल पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में टैंकर टैक्टर संचालन/मरम्मत में व्यय के भुगतान पर नियमानुसार उपयोग की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-जी.आई.-134/1-11-2007-46/97, दिनॉक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा।

5. वर्ष 2011–12 में दैवीय आपदा मद में वितरण 31 मार्च, 2012 तक कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि मे से यदि बचते संभावित हो तो उन्हें दिनॉक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदो में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित्त एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या :1529/1–10–2011–33(114)/2011, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– मण्डलायुक्त झांसी/मिर्जापुर/इलाहाबाद।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/सोनभद्र/मिर्जापुर/इलाहाबाद।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 ।
8– राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11 ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव